जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विशेष सतर्कता जांच अभियान

एक माह में बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के 24887 मामले पकड़े

1130 एफ.आई.आर. दर्ज, 22 गिरफतार

जयपुर, 03 मार्च। जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिये चलाए जा रहे विशेष सतर्कता जांच अभियान में निगम के सतर्कता विंग एवं ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा फरवरी माह में 24887 स्थानों पर बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। इन मामलों में 24 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। 1130 बिजली चोरी के मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कर 22 को गिरफतार किया गया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि फरवरी, 2015 में सतर्कता विंग एवं ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा 24887 जगहों पर जांच की गई, जिसमें 17579 स्थानों पर बिजली चोरी एवं 7308 स्थानों पर बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गये। बिजली चोरी के 1130 मामलो में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, जिसमें से 829 मामलों में एक करोड़ 27 लाख 15 हजार रुपए के राजस्व की वसूली भी कर ली गई है। शेष प्रकरणों में 22 को गिरफतार कर एक मामलें में चालान पेश किया गया है।

उन्होंने बताया कि सतर्कता विंग के अधिकारियों द्वारा फरवरी माह में 2735 जगहों पर जांच की गई जिसमें 2438 बिजली चोरी एवं 297 बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। पकड़े गए इन मामलों में सर्वाधिक 2028 घरेलू बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। अघरेलू के 175, कृषि में 56, मोबाईल टावर के 3 तथा एक मामला एसआईपी में बिजली चोरी का पकड़ में आया है। इन सभी मामलों में 5 करोड़ 38 लाख 56 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

श्री भारद्वाज ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिये ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा फरवरी माह में 22152 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें बिजली चोरी के 15141 मामले एवं बिजली दुरुपयोग के 7011 मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में 19 करोड़ 15 लाख 69 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 15141 मामलों में बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिये सतर्कता जांच अभियान निरन्तर चलता रहेगा तथा इसे और गति प्रदान की जायेगी।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 196/2015